

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1084 पार्ट)/2018/


दिनांक:-

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/म0स्वा0का0/1084/2015/1121 दिनांक 12.10.2015 द्वारा श्रीमती पंकी गुप्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जमवारामगढ़ (जयपुर) को स्वीकृत अध्ययन अवकाश में निम्नानुसार संशोधन किया जाकर अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

पूर्व में स्वीकृत अवकाश अवधि	संशोधित अवकाश अवधि
1. दिनांक 11.11.2014 से 10.11.2016 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश।	1. दिनांक 11.11.2014 से 10.05.2016 तक 547 दिवस का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 11.11.2016 से 10.03.2017 तक 120 दिवस उपार्जित अवकाश।	2. दिनांक 07.11.2016 से 08.05.2017 तक 183 दिवस का अध्ययन अवकाश।
3. दिनांक 11.03.2017 से 10.11.2017 तक 245 दिवस का अवैतनिक अवकाश।	3. दिनांक 09.05.2017 से 05.09.2017 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश।
	4. दिनांक 06.09.2017 से 08.05.2018 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।

(खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जमवारामगढ़ (जयपुर) द्वारा कार्मिका का दिनांक 11.05.2016 से 06.11.2016 तक 180 दिवस का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है)



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 8/2/18

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1084 पार्ट)/2018/999

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जमवारामगढ़ (जयपुर)।
3. प्रधानाचार्य, सवाईमानसिंह चिकित्सालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर